



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-19022026-270297
CG-MH-E-19022026-270297

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 783]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 16, 2026/माघ 27, 1947

No. 783]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 16, 2026/MAGHA 27, 1947

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 16 फरवरी, 2026

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 7A के तहत

का.आ. 821(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी, “इटारसी-नागपुर चौथी लाइन (297 किलोमीटर)”, विशेष रेलवे परियोजना के भूमि अधिग्रहण करने हेतु मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम और पांडुर्णा जिला में निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और संचालन के लोक प्रयोजन के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

अ.सं.	सक्षमप्राधिकारी	तहसील
1	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी इटारसी	इटारसी
2	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पांडुर्णा	पांडुर्णा

[फा. सं. G197/Itarsi-NGP 4th Line/Itarsi & Pandhurna Tehsil/7A]

अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 16th February, 2026

Under clause 7A of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 821(E).— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), (hereinafter referred to the Railway (Amendment) Act 2008 (No.11 of 2008), the Central Government hereby authorize the officer mentioned in column (2) of the table below as “**Competent Authority**” to perform the functions as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette in respect of the special railway project “**Itarsi-Nagpur 4th line (297km.)**” District Narmadapuram and Pandhurna in the state of Madhya Pradesh, Mentioned in Column of the said table for the public purpose of execution maintenance, Management and operation of such special Railway Project.

TABLE

S.N.	Competent Authority	Tehsil
1	Sub-Divisional Officer and Land Acquisition Officer Itarsi	Itarsi
2	Sub-Divisional Officer and Land Acquisition Officer Pandhurna	Pandhurna

[F. No. G197/Itarsi-NGP 4th Line/Itarsi & Pandhurna Tehsil/7A]

AVANISH KUMAR PANDEY, Chief Administrative Officer (Construction)